रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042020-219233 CG-DL-E-29042020-219233

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211] No. 211] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2020/वैशाख 9, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2020/VAISAKHA 9, 1942

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2020

सा.का.नि. 270(अ).—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (2016 का 4) की धारा 17 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 21क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्यिक न्यायालय (सांख्यिकी आंकड़ा) नियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्यिक न्यायालय (सांख्यिकी आंकड़ा) संशोधन नियम, 2020 है।
 - (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. वाणिज्यिक न्यायालय (सांख्यिकी आंकड़ा) नियम, 2018 में-
- (क) नियम 3 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा, और-
- (i) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपनियम (1) में से "इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची" शब्दों के स्थान पर "अनुसूची-1" शब्द और अंक रखे जाएंगे:
- (ii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित नियम अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

1920 GI/2020 (1)

- "(2) उपनियम (1) में अतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संबंधित उच्च न्यायालय, अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप में निम्नलिखित आंकड़े अनुरक्षित करेगी, अर्थात्:-
- (i) मास के दौरान ई-फाइल किए गए मामलों की सूची ;
- (ii) ऐसे मामलों की सूची जिनमें मास के दौरान न्यायालय फीस का ई-संदाय किया गया था ;
- (iii) ऐसे मामलों की सूची जिनमें मास के दौरान इलैक्ट्रानिक तामील की प्रक्रिया की गई है ;
- (iv) मास के दौरान अनियमित रूप से आबंटित कुल मामलों की सूची ;
- (v) ऐसे मामलों की सूची जिनमें मास के दौरान मामला प्रबंध सुनवाई की गई थी ;
- (vi) मास के दौरान निपटाए गए सविरोध वाणिज्यिक मामलें ; और
- (vii) मास के दौरान वाणिज्यिक मामलों का संक्षिप्त विवरण" ;
- (ख) निम्नलिखित शब्दों कोष्ठकों और अंक के स्थान पर

"अनुसूची सांख्यिकी आकड़े के लिए रूप विधान (नियम 3 देखें)",

निम्नलिखित शब्द कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"अनुसूची-I

[नियम 3 (1) देखें]",

(ग) इस प्रकार संशोधित अनुसूची-I और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"अनुसूची-॥

[नियम 3 (2) देखें]

	प्ररूप 1											
	मास के दौरान ई-फाइल किए गए मामलों की सूची											
क्र.सं.	न्यायालय	जिला	मामला	याची का नाम	अधिवक्ता	अधिवक्ता का	अधिवक्ता का	रजिस्ट्रीकरण	ई-फाइल			
			सं.	बनाम प्रत्यर्थी का		मोबाईल सं.	ई-मेल आई	की तारीख	करने की			
	नाम डी डी तारीख											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1												
2												

	प्ररूप 2 ऐसे मामलों की सूची जिनमें मास के दौरान न्यायालय फीस का ई-संदाय किया गया था											
क्र.सं.	न्यायालय	जिला	मामला सं.	याची का नाम बनाम प्रत्यर्थी का	अधिवक्ता		न्यायालय फीस के ई-भुगतान की तारीख					
(4)	नाम											
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					
2												

					प्ररूप 3							
	ऐसे मामलों की सूची जिनमें मास के दौरान ईलैक्ट्रानिक तामील की प्रक्रिया की गई है											
क्र.सं.	न्यायालय	जिला	मामला	याची का नाम	अधिवक्ता	रजिस्ट्रीकरण की	इलेक्ट्रानिक सेवा की प्रक्रिया की तारीख					
			सं.	बनाम प्रत्यर्थी का		तारीख						
	नाम											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					
1												
2												

				प्ररूप 4								
	मास के दौरान अनियमित रूप से आबंटित कुल मामलों की सूची											
क्र.सं.												
	संख्या की संख्या)											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
1												
2												

	प्ररूप 5 ऐसे मामलों की सूची जिनमें मास के दौरान मामला प्रबंध सुनवाई की गई थी											
क्र.सं.	क्र.सं. न्यायालय जिला मामला याची का नाम अधिवक्ता रजिस्ट्रीकरण मामला प्रबंध सुनवाई की तारीख सं. बनाम प्रत्यर्थी का की तारीख											
	स. बनाम प्रत्यया का का ताराख नाम											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					
1												
2												

							प्ररूप 6							
	मास के दौरान निपटाए गए सविरोध वाणिज्यिक मामले													
क्र.सं.	.													
			सं.	का		की तारीख	तत्काल	की	के दिन	की प्रकृति	निष्पादन	की	अनुभाग	
				नाम			अनुलोप की ईप्सा	तारीख		(सविरोध/	की	तारीख से		
				बनाम			की ईप्सा			तय किया	तारीख	डिक्री के		
				प्रत्यर्थी			की गई थी			हुआ).		निष्पादन		
				का			और पूर्व					के लिए		
				नाम			सांस्थानिक					दिनों की		
							मध्यकता					संख्या		
							नहीं हुई							
							थी							
							(हां/नहीं)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1														
2													·	

				प्ररूप 7						
	मास के दौरान वाणिज्यिक मामलों का संक्षिप्त विवरण									
क्र.सं.	न्यायालय	जिला	मास के पहले दिन	मास के दौरान	मास के दौरान	मास के अंत में लंबित मामलों की कुल संख्या				
			लंबित मामलों की कुल		निपटान मामलों की					
			संख्या	की कुल संख्या	कुल संख्या					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
1										
2										

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2020

- **G.S.R.** 270(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21A of the Commercial Courts Act, 2015 (4 of 2016) read with section 17 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Commercial Courts (Statistical Data) Rules, 2018, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Commercial Courts (Statistical Data) Amendment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Commercial Courts (Statistical Data) Rules, 2018, -
- (a) rule 3 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof, and, -
 - (i) in sub-rule (1) as so renumbered, for the words "Schedule appended to these rules", the words and figures "the Schedule-I" shall be substituted;
 - (ii) after sub-rule (1) as so renumbered, the following rule shall be inserted, namely:-
- "(2) Without prejudice to the provisions contained in sub-rule (1), the concerned High Courts shall maintain the following data in the form as specified in Schedule II, namely: -
 - (i) list of cases e-filed during the month;
 - (ii) list of cases in which e-Payment of Court fees was made during the month;
 - (iii) list of cases in which Electronic Service of Process has taken place during the month;
 - (iv) list of total number of cases randomly allocated during the month;
 - (v) list of cases in which case management hearing was held during the month;
 - (vi) contested commercial cases disposed during the month; and
 - (vii) summary of commercial cases during the month";
- (b) for the words, bracket and figure

"SCHEDULE

Format for Statistical data

(See Rule 3)",

the following words, bracket and figure shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-I

[See Rule 3(1)]",

(c) after Schedule-I as so amended and entries relating there to, the following shall be inserted, namely:-

"SCHEDULE-II

[See Rule 3(2)]

					Form 1						
	List of cases e-filed during the month										
Sr.	Sr. Court District Case Petitioner Advocate Advocate Date of Date of										
No.	o. No. Name Vs. Mobile E-mail Id Registration e-filing										
				Respondent		Number					
				Name							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1											
2											

	Form 2											
	List of cases in which e-Payment of Court fees was made during the month											
Sr.	Try											
No.		Respondent Name Registration Court Fees										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					
1												
2												

	Form 3											
	List of cases in which Electronic Service of Process has taken place during the month											
Sr. Court District Case No. Petitioner Name Advocate Date No.							Date of Electronic Service of Process					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					
1												
2												

				Form 4							
	List of total no. of cases randomly allocated during the month										
Sr.	Court	District	Court	Court No.	Case Type	Case Count (No. of cases					
No.	Name randomly allocated)										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
1											
2											

	Form 5 List of cases in which Case Management Hearing was held during the month											
Sr.												
No.			No.	Respondent Name				Registration		Management Hearing		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)		Ticarii	(8)	
1												
2												

	Form 6													
	Contested commercial cases disposed during the month													
Sr. No.	Court	District	Case No.	Petitioner Name Vs Respondent Name	Advocate	Date of Registration	Whether Urgent Relief was sought and Pre- Institution Mediation did not take place (Yes/No)	Date of Decision	Days for disposal	Nature of Disposal (Contested /Settled)	Date of execution of decree	Number of days for execution of decree from date of decision	Act Section	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1														
2														

	Form 7												
	Summary of Commercial Cases during the month												
Sr. No.	Court	District	Total number of cases pending on the 1 st day of the month	Total number of cases instituted during the month	Total number of cases disposed during the month	Total number of cases pending at the end of the month							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)							
1													
2													

[F. No. A-60011(06)/20/2016-Admn.-III(LA)]

Dr. RAJIV MANI, Jt. Secy. and Legal Adviser

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2020

सा.का.नि. 271(अ).— केन्द्रीय सरकार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (2016 का 4) की धारा 12क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 21 क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्यिक न्यायालय (पूर्व सांस्थानिक मध्यकता और समझौता) नियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्यिक न्यायालय (पूर्व सास्थानिक मध्यकता और समझौता) संशोधन नियम, 2020 है।
- (2) राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। वाणिज्यिक न्यायालय (पूर्व सांस्थानिक मध्यकता और समझौता) नियम, 2018 में
- (क) नियम 10 के उपनियम (2) में "त्रैमासिक आधार पर अनुसूची (1) में विनिर्दिष्ट प्ररूप-6 के अनुसार" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट, प्ररूप 6(i) के अनुसार मासिक आधार पर और प्ररूप 6 (ii) के अनुसार त्रैमासिक आधार पर" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे,
- (ख) अनुसूची-I में प्ररूप 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जांएगे, अर्थात् :-

" प्ररूप 6 (i) मासिक आधार पर मध्यकता डाटा

[नियम 10 (2) देखें]

	मास के दौरान संस्थित करने पूर्व मध्यकता और परिनिर्धारण के लिए प्राप्त मामलों की संख्या												
क्र.सं.		महीने 1तारीख को											
	के लिए, डी एल एस ए या मुक्त	लंबित आवेदनों की	आवेदनों की कुल	परिनिर्धारित मामलों	प्रारम्भक मामलों की	आवेदनों की कुल							
	मध्यकता केन्द्र मुम्बई]	कुल संख्या	संख्या	की कुल संख्या	कुल संख्या	संख्या							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)							
1													
2													

.

" प्ररूप 6 (ii) तिमाही आधार पर मध्यकता डाटा [नियम 10 (2) देखें]

ह.सं.	प्राधिकरण का नाम	प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आवेदन की संख्या	आवेदक पक्ष प्रकृति		विपक्षी पक्ष प्रकृति		अनुसूर्च	अनुसूची -2 के अनुसार स्तरवार आवेदनो की संख्या				नियम 3 (4) और 3 (6) के अनुसार निपटाए गए आवेदन की संख्या	आवेदन की संख्या	आवेदन की संख्या जहां गरिनिर्धारित नियम 7(1) (ix) के अनुसार केया गया है	आवेदन की संख्या जहां पक्षकार नियम 7(1) (vii) के अनुसार समझौते पर पहुंचे
			वैयक्तिक	कारपोरेट	वैयक्तिक	नारपोरेट	Ι	П	Ш	IV	٧				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12)		
1															
2															

"

[फा. सं. ए- 60011(06)/20/2016 – प्रशा.-III (एल ए)]

डा. राजीव मणि, संयुक्त सचिव एंव विधि सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2020

- **G.S.R. 271(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 21A read with sub-section (1) of section 12A of the Commercial Courts Act, 2015 (4 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Commercial Courts (Pre-Institution Mediation and Settlement) Rules, 2018, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Commercial Courts (Pre-Institution Mediation and Settlement) Amendment Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Commercial Courts (Pre-Institution Mediation and Settlement) Rules, 2018, -
 - (a) In rule 10, in sub-rule (2), for the words and figures "on quarterly basis, on its website as per Form-6 specified in the Schedule-I", the words, brackets and figures "on its website on monthly basis as per Form 6 (i) and on quarterly basis as in Form 6 (ii), specified in Schedule-I" shall be substituted,
 - (b) In Schedule-I, for Form 6, the following forms shall be substituted, namely:-

"Form 6 (i): Mediation Data on Monthly Basis

[See rule 10 (2)]

	List of cases received for Pre-Institution Mediation and Settlement during the month											
Sr. No.	Name of Mediation Centre [For example, DLSA or Main Mediation Centre Mumbai]	Total number of applications pending on the 1st day of the month	Total number of applications received during the month	Total number of cases settled during the month	Total number of non-starter cases during the month	Total number of applications pending at the end of the month						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
1												
2												

Form 6 (ii): Mediation Data on Quarterly Basis [See rule 10 (2)]

S. No	Name of the Authority	e application	cation Party		Nature of Opposite Party					ions sl nedule		No. of application disposed	No. of application referred	No. of application where no	No. of application where
		Authority	Individual	Corporate	Individual	Corporate	I	П	III	IV	V	off as per Rule 3(4) and 3(6)	for mediation	or settlement	parties reached a settlement as per Rule 7(1)(vii)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)			(9)	(10)	(11)	(12)

,,

[F. No.A-60011(06)/20/2016-Admin.-III(LA)]

Dr. RAJIV MANI, Jt. Secy. and Legal Adviser